सं. 1/13/09–पी एंड पी डब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
19 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: तलाकशुदा पुत्रियों को कुटुंब पेंशन मंजूर किए जाने की पात्रता – तत्संबंधी स्पष्टीकरण।

25 वर्ष की आयु के उपरांत किसी तलाकशुदा पुत्री की कुटुंब पेंशन दिए जाने से संबंधित प्रावधान दिनांक 30.08.2004 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा किया गया है। इस प्रावधान को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के उप नियम 54 (6) के अनुच्छेद (iii) में शामिल किया गया है।

2. जैसा कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के उप नियम 54 (8) में उल्लिखित है कि 25 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बारी उनके माता/पिता अर्थात् पेंशनभोगी और उसकी पत्नी/पति की मृत्यु या पुनर्विवाह के उपरांत आती है। उसके बाद, विकलांग बच्चों को जीवनपर्यंत कुटुंब पेंशन देय होती है, और उसके बाद 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को।

3. इस विभाग के दिनांक 11 सितंबर, 2013 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि बच्चों को कुटुंब पेंशन इसलिए देय होती है, क्योंकि उन्हें सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति पर आश्रित माना जाता है। जो बच्चा न्यूनतम कुटुंब पेंशन एवं महंगाई राहत के बराबर या उससे अधिक धनराशि अर्जित नहीं करता है, उसे अपने माता–पिता पर आश्रित माना जाता है। इसलिए केवल वही बच्चे जो आश्रित हैं और सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के समय, जो भी बाद में हो, कुटुंब पेंशन पाने की अन्य शर्तें पूरी करते हैं, वे कुटुंब पेंशन पाने के पात्र हैं। यदि उस समय दो या अधिक बच्चे कुटुंब पेंशन पाने के पात्र हैं, तो प्रत्येक बच्चे को उसकी बारी के अनुसार कुटुंब पेंशन देय होगी, बशर्ते अपनी बारी आने पर भी वह कुटुंब पेंशन पाने का/की पात्र हो।

4. यह स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई पुत्री पिछले पैरा में बताए अनुसार पेंशन पाने की पात्र है, तो उसे कुटुंब पेंशन दी जा सकती है, बशर्ते वह अपने माता–पिता की मृत्यु/अपात्रता के समय पात्रता की सभी शर्तें पूरी करती हो, और अपनी बारी आने पर कुटुंब पेंशन पाने की पात्र हो। तदनुसार, तलाकशुदा पुत्रियां, जो कुटुंब पेंशन पाने की अन्य शर्तें पूरी करती हैं, कुटुंब पेंशन पाने की पात्र हैं, यदि उन्हें माता–पिता में से किसी एक के जीवन काल में सक्षम न्यायालय द्वारा तलाक की डिक्री जारी कर दी गई है।

5. इस विभाग को इस बारे में अनेक शिकायतें मिलती रही हैं कि तलाक की कार्यवाही एक लंबी प्रक्रिया है जिसे अंतिम रूप देने में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसे अनेक मामले हैं, जिनमें किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी की पुत्री की तलाक संबंधी कार्यवाही उनमें से किसी एक या दोनों के जीवन काल में सक्षम न्यायालय में आरंभ हुई और तलाक की डिक्री मिलने तक उनमें से कोई भी जीवित नहीं था।

6. व्यय विभाग के परामर्श से इस विभाग में मामले का परीक्षण किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाए, जहां किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति के जीवन काल में तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गई थी और उनकी मृत्यु के उपरांत तलाक हुआथा – बशर्ते दावाकर्ता केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के तहत कुटुंब पेंशन पाने की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। ऐसे मामलों में, कुटुंब पेंशन तलाक की तिथि से आरंभ होगी।

7. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की दिनांक 7 जुलाई, 2017 की आईडी सं. 1 (11)/ई V/2017 की सहमति से जारी किया जाता है।

(डी.के. सोलंकी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक का कार्यालय
3. महा लेखा नियंत्रक का कार्यालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली
4. विभाग में उपलब्ध सूची में शामिल सभी पेंशनभोगी संघ
5. सभी अधिकारी/डेस्क